न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
172/2024	12.01.2024	22.02.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरगोविन्द आत्मज रामकल्याण जाति माली निवासी वार्ड नं0 5 तेजाजी मोहल्ला, सुल्तानपुर ,तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता सं0 617 नया, 575 पुराना की खसरा नम्बर 2078/1 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 2109/1 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.10 हेक्टर , खसरा नम्बर 2699/2328 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 4 किता की रकबा 0.45 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण दर्ज है जमाबन्दी सं0 2071–74 संलग्न है।

2– यह कि ग्राम सुल्तानपुर की उक्त आराजीयात में वादी का नाम गोविन्दलाल आत्मज रामकल्याण दर्ज कर दिया गया है जबकि समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम हरगोविन्द आत्मज रामकल्याण है जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड नामान्तरण आदि में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेनकार्ड, बैंक डायरी , आदि में वादी का नाम हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण है। वादी का नाम ग्राम सुल्तानपुर की जमाबन्दी में गोविन्दलाल दर्ज होने से क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4– यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम सुल्तानपुर की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हरगोविन्द के स्थान पर गोविन्दलाल दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोविन्द लाल के स्थान पर हरगोविन्द दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 04.01.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5– यह कि वाद कारण दिनांक 04.01.2023 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नं उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने की कहने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमायी जावे कि:–

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

1. कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता सं0 617 नया, 575 पुराना की खसरा नम्बर 2078/1 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 2109/1 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 2699/2328 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 4 किता की रकबा 0.45 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण दर्ज किये जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. कि अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :

1- नकल जमाबन्दी ग्राम सुल्तानपुर संवत 2071-2074
2- नकल फोटो प्रति आधार कार्ड, केदार लाल
3- नकल फोटो प्रति फोटो पहिचान पत्र
4- नकल फोटो प्रति राशन कार्ड
5- नगर पालिका सुल्तानपुर द्वारा तस्दीक
6- पैन कार्ड की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी के द्वारा प्रतिवादी की ओर से जवाब सहमति परक प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब सहमति परक होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यक नही होने एवं साक्ष्य मे स्वयं वादी का शपथ पत्र संलग्न मिसल है। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब मे तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब मे स्पष्ट किया है गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण जाति माली एवं हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण जाति माली दोनो एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया गया है। तथा गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण जाति माली निवासी सुल्तानपुर हिस्सा बदस्तूर दर्ज करने की अनुशंषा की है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, बहस वादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाब का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी का नाम गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते मे खाता स0 617 नया, 575 पुराना को खसरा नम्बर 2078/1 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 2109/1 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 2699/2328 रकबा 0.30 हेक्टर कुल 4 किता की रकबा 0.45 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोविन्दलाल पुत्र रामकल्याण के स्थान पर हरगोविन्द पुत्र रामकल्याण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (राज.)
दीगोद